भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *140

09.02.2026 को उत्तर के लिए

उद्योगों के लिए संधारणीयता और पर्यावरण अनुपालन

***140. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्तमान में संधारणीयता, पर्यावरणीय अनुपालन और उत्सर्जन-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के दायरे में शामिल की गई बड़ी कंपनियों के अलावा कंपनियों के एक व्यापक समूह को भी इसके दायरे में लाने हेतु कोई मौजूदा या प्रस्तावित सुधार हैं;

(ख) औद्योगिक प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण या उत्सर्जन व्यापार जैसे बाजार आधारित तंत्रों के उपयोग सहित क्या विनियामक ढांचा मौजूद है अथवा विचाराधीन है;

(ग) क्या उभरते वैश्विक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के लिए भारत की तैयारी के संबंध में कोई क्षेत्र-वार आकलन किया गया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि पर्यावरणीय विनियमन घरेलू उद्योग और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संधारणीयता को बढ़ावा दें?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"उद्योगों के लिए संधारणीयता और पर्यावरण अनुपालन" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *140 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): सरकार संधारणीयता, पर्यावरणीय अनुपालन और उत्सर्जन-रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का विस्तार करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति का पालन करती है। भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास कार्यनीतियाँ (एलटी-एलईडीएस) वर्ष 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में एक संधारणीय मार्ग प्रदान करती हैं, जिसमें सात प्रमुख कार्यनीतिक परिवर्तन अर्थात् (क) कम कार्बन वाली बिजली प्रणालियों का विकास, (ख) कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का विकास (ग) शहरी डिजाइन में अनुकूलन, इमारतों में ऊर्जा और सामग्री-दक्षता तथा संधारणीय शहरीकरण को बढ़ावा देना (घ) कम-उत्सर्जन वाली नवीन औद्योगिक प्रणाली को बढ़ावा देना (ड़) सीओ2 निष्कासन और संबंधित इंजीनियरिंग समाधान (च) वन और वनस्पति आवरण को बढ़ाना और (छ) कम कार्बन विकास के आर्थिक और वित्तीय पहलू शामिल हैं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) के तहत, सेबी ने वर्ष 2022-23 से शीर्ष-1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण द्वारा) के लिए प्रकटीकरण को अनिवार्य कर दिया है, जिससे कॉरपोरेटस द्वारा संधारणीय प्रणालियों को अपनाने में बढ़ोतरी हुई है।

भारत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और इसके पेरिस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 सीमा-पार निवेश प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों के लिए क्षमता निर्माण को समक्ष करने के लिए बाजार-आधारित तंत्रों के लिए सिंद्धांत का निर्धारण करता है।

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 14 के खंड (डब्ल्यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत 'भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय ढांचा (आईसीएम) अर्थात कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को दिनांक 28 जून, 2023 के सा.का. 2825(अ) और दिनांक 19 दिसंबर, 2023 की संशोधन अधिसूचना सा.का. 5369(अ) के तहत अधिसूचित किया गया था। अनुपालन तंत्र में, एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर-अल्कली, लुगदी और कागज, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिफाइनरी और वस्त्र जैसे सात क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य, जिसमें 490 बाध्यकारी ईकाईयां शामिल हैं, को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं/कार्यकलापों को, यथा संशोधित, अधिसूचना में उल्लिखित सीमा के अलावा नई परियोजना/कार्यकलाप की स्थापना या मौजूदा परियोजना/कार्यकलाप के विस्तार के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) की आवश्यकता होती है। इन परियोजनाओं/कार्यकलापों को संबंधित विशेषज्ञ आकलन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर विनियामक प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो पर्यावरण पर उक्त परियोजनाओं/कार्यकलापों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसी परियोजनाओं के लिए किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के आधार पर परियोजनाओं/कार्यकलापों का सख्त रुप से आकलन करते हैं। इसके अलावा, संबंधित विशेषज्ञ आकलन समितियां प्रदूषण में कमी के

साथ-साथ संधारणीयता उपायों के लिए उपयुक्त उपशमन उपायों को भी निर्धारित करती हैं, जिन्हें परियोजनाओं/कार्यकलापों द्वारा लागू किया जाना है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का एक हिस्सा हैं। एक बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद परियोजनाओं/कार्यकलापों को पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल के माध्यम से छमाही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना अपेक्षित होता है। उक्त के अलावा, परियोजनाएं सहमति तंत्र द्वारा संचालित होती हैं, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/एसपीसीसी) के सहयोग से, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाता है। सहमति तंत्र के तहत, परियोजनाओं को संबंधित एसपीसीबी/एसपीसीसी द्वारा स्थापित करने की सहमति (सीटीई) और संचालन करने की सहमति (सीटीओ) प्रदान की जाती है, जिसमें परियोजना/कार्यकलाप स्थल, परियोजना/कार्यकलाप द्वारा देखे जाने वाले पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों आदि जैसे विभिन्न मानदंडों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे संधारणीयता सुनिश्चित होती है। सीटीई/सीटीओ शर्तों के अनुपालन की नियमित रूप से संबंधित एसपीसीबी/एसपीसीसी द्वारा निगरानी की जाती है। हाल ही में, मंत्रालय ने विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के तहत काम करने वाली परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुपालन ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 को भी अधिसूचित किया है।

*****